कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी कौशाम्बी वन प्रभाग, कौशाम्बी।
पत्रांक 1485/5-0   दिनांक, कौशाम्बी, फरवरी 04, 2017।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0 लखनऊ।

विषय– जनपद कौशाम्बी के अन्तर्गत पुरानी जी0टी0 रोड का आन्तरिक भाग किमी0 161.800 से किमी0 180.00 (कोखराज से मनौरी तक) चार लेन के चौड़ीकरण में बाधक 1753 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं क्षेत्रफल 17.626 हे0 संरक्षित वनभूमि हस्तांतरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ– आपका पत्रांक 1562/11सी–पी0डब्लू0डी0/रोड/20685/2016 दिनांक 03.01.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र की अनुपालन आख्या निम्न प्रकार है–

1. बिन्दुवार सूचना में बिन्दु सं0 11सी के अनुसार संशोधन किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण के आंकलन वर्तमान मजदूरी दर रू0 174.00 प्रतिदिन के अनुसार किया गया है। मजदूरी दरों में वृद्धि होने पर तदनुसार संशोधित धनराशि की मांग की जायेगी का वर्णन किया गया है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त धनराशि की मांग की जा सकती है, का उल्लेख नहीं किया गया है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन में दर व समुचित धनराशि दर्शायी गयी है।

2. बिन्दु सं0 11सी के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण के स्थल इलाहाबाद वन प्रभाग के मेजा रेंज की मेजा वन ब्लाक का चयन कर सूचित किया गया है, जिसका उल्लेख क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन में भी किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के प्राक्कलन की मूल प्रति व छाया प्रति संलग्न की जा रही है।

04/02
(ओ0पी0 अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग कौशाम्बी।

संख्या 1486 / समदिनांक।

प्रतिलिपि– वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक सा0वा0 इलाहाबाद वृत्त, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 कौशाम्बी को इस आशय से प्रेषित कि संदर्भित पत्र के अनुपालन में उच्चाधिकारियों से सम्पर्क कर लगायी गई आपत्ति का निराकरण कराते हुए इस कार्यालय को भी अवगत करायें।

04/02
(ओ0पी0 अम्बष्ट)
प्रभागीय वनाधिकारी
कौशाम्बी वन प्रभाग कौशाम्बी।